



## भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

- प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष ..... में कृषक श्री/श्रीमति .....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... ग्राम ..... ग्राम पंचायत.....पं0स0..... तहसील .....जिला .....के खेत पर मेरे द्वारा पाईप लाईन का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं—
1. भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम .....
  2. पदनाम.....कृषि पर्य.क्षेत्र .....स.कृ.अ.क्षेत्र.....
  3. भौतिक सत्यापन करने की दिनांक.....
  4. कम्पनी का ब्रांड एवं मैक.....
  5. कम्पनी का आई.एस.आई. नं. (सीएमएलनं.).....
  6. पाईप(पी.वी.सी./एच.डी.पी.ई.)का बैच नं. ....
  7. कृषक द्वारा पाईप लाईन स्थापित करने का वर्ष .....माह .....(कृषक से पूछताछ कर भरा जावें)
  8. मौके पर मेरे द्वारा पाईप लाईन के भौतिक सत्यापन के पश्चात निम्न विवरण पाया गया –  
(क) पाईप लाईन की लम्बाई.....(ब)पाईप की साईज.....  
(स) पाईप लाईन की क्या स्थिति है.....
  9. क्या कृषक द्वारा पूर्व में पाईप लाईन पर अनुदान लिया गया है? हां... नहीं.....यदि हां हो तो वर्ष.....  
कम्पनी का ब्रांड .....क्षेत्रफल .....
  10. मौके पर बोई गयी फसलों का विवरण .....
  11. कृषक का सिंचाई स्रोत.....
  12. अन्य कोई महत्वपूर्ण बिन्दू जौ मौका निरीक्षण के दौरान देखा गया है।

कृषक के हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी

भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकार/  
कर्मचारी के हस्ताक्षर मय नाम, पदनाम  
व दिनांक

कार्यालय सहायक निदेशक (विस्तार) जिला परिषद ..... इस आवेदन पत्र व भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर कृषि विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कृषक श्री/ श्रीमति .....पुत्र/पुत्री/श्री.....को पाईप लाईन पर अनुदान राशि रूपयें .....भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।